फर्द अहकाम

अज अदालत उपखण्ड अधिकारी सिकराय जिला दौसा

राजाराम बनाम लक्ष्मण वगै0

किस्म मुकदमा–दावा मु0नं0–82/2024

पीठासीन अधिकारी– डॉ0 नवनीत कुमार (आर0ए0एस0)

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नंबर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
30.04.2025	पत्रावली पेश हुई। वकील वादी उपस्थित। प्रकरण में जारी प्राथमिक डिक्री की पालना में तहसीलदार बहरावण्डा द्वारा विभाजन प्रस्ताव तैयार कर पेश किए जा चुके है। वादी अधिवक्ता के निवेदन पर बहस विभाजन प्रस्ताव सुनी गई। वादी अधिवक्ता द्वारा दौराने बहस निवेदन किया कि तहसीलदार बहरावण्डा द्वारा न्यायालय हाजा द्वारा जारी प्राथमिक डिक्री की पालना में ही कुर्रेजात प्रस्ताव तैयार किए है जो कि नियमानुसार तैयार किए गए है एवं सही है इसलिए विभाजन प्रस्ताव स्वीकार कर अंतिम डिक्री पारित कर विवादित भूमि का तकास्मा किया जावे। हमने वादी अधिवक्ता की बहस एवं तहसीलदार बहरावण्डा द्वारा पेश विभाजन प्रस्ताव पर अवलोकन किया एवं पत्रावली का अवलोकन किया गया। वादी अधिवक्ता द्वारा भी विभाजन प्रस्ताव स्वीकार कर अंतिम डिक्री किए जाने का निवेदन किया गया है। इसलिए विभाजन प्रस्ताव स्वीकार कर अंतिम डिक्री किया जाना न्यायोचित है। अतः प्रकरण में तहसीलदार बहरावण्डा द्वारा पत्रांक भू0अ0/2025/415 दिनांक 03.04.2025 द्वारा पेश विभाजन प्रस्ताव स्वीकार कर दावा वादी अंतिम डिक्री किया जाता है। तहसीलदार बहरावण्डा मुताबिक कुर्रेजात प्रस्ताव भूमि का विभाजन कर राजस्व रिकॉर्ड में अमल दरामद करें। विभाजन प्रस्ताव निर्णय का भाग रहेंगे। उपरोक्तानुसार अंतिम डिक्री जारी हो। तहसीलदार बहरावण्डा को पालना हेतु तहरीर जारी हो। निर्णय मेरे द्वारा आज दिनांक 30.04.2025 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो। उपखण्ड अधिकारी सिकराय जिला दौसा	उपखण्ड अधिकारी एवं उप जिला मजिस्ट्रेट सिकराय जिला–दौसा